राज्य योजना (सामान्य)
संख्याः /I/2007-3(1)/32/2006

प्रेषक,

डॉ0 एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा),
देहरादून।

ऊर्जा विभाग

देहरादूनः दिनांक 29 मार्च, 2007

विषयः वित्तीय वर्ष 2006–07 में उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 876/I/2007-03(1)/32/2006, दिनांक 08.02.2007 द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम के लिए राज्य योजना के अन्तर्गत अनुदान सं0 21 से रु0 35079.00 हजार (रु0 तीन करोड़ पचास लाख उन्यासी हजार मात्र) की धनराशि संलग्नक में उल्लिखित धनराशि बी0एम0 15 के माध्यम से अवमुक्त की गई थी। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के लेखाशीर्षक के संलग्नक के क्रमांक 3 पर अंकित लेखाशीर्षक को निम्नानुसार पढ़ा जायः–

"2810–वैकल्पिक ऊर्जा–03–वायु ऊर्जा कार्यक्रम–आयोजनागत–101–वायु ऊर्जा–03–उरेडा के लिए अनुदान–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता"

2– उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त शासनादेश के बी0एम0 15 के कॉलम–5 की रु0 60.22 लाख की व्यावर्तन की दूसरी योजना पर अंकित लेखाशीर्षक के स्थान पर निम्नानुसार लेखाशीर्षक पढा जायः–

"2810–वैकल्पिक ऊर्जा–60–ऊर्जा के अन्य स्रोत–800–अन्य–05–परियोजनाओं का कियान्वयन–**01–उरेडा के लिए अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता"**

3– उक्त शासनादेश दिनांक 08.02.2007 को केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय। इसकी शेष सभी शर्ते पूर्ववत् ही रहेंगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 2158/XXVII(2)/2007, दिनांक 28 मार्च, 2007 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

....2

संख्याः 1982 /I/2007-3(1)/32/2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. सहायक विद्युत निरीक्षक, देहरादून।
3. कोषाधिकारी, देहरादून।
4. श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन ।
5. सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन/एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
6. वित्त अनुभाग–2
7. नियोजन विभाग
8. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु ।
9. गार्ड फाईल ।

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव